परिवार का कोई भी सदस्य राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है, जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र राशन कार्ड का नवीनीकरण किया गया है। हितग्राही अपने पुराने राशन कार्ड को राशन दुकान में जमा कर नवीनीकृत राशन कार्ड प्राप्त कर सकते है। सभी राशन दुकानो को हितग्राही के राशन कार्ड का पीडीएफ भी वितरण करने दिया गया है। जहां पर जाकर परिवार का कोई भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है। अपना पुराना राशन कार्ड जमा कर नवीन राशन कार्ड प्राप्त कर सकते है। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर राशन कार्ड वितरण करने कर्मचारियों की डयूटी भी लगाई गई है। जिससे निगम भिलाई क्षेत्र में राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड आसानी से वितरण किया जा सके। निगम भिलाई क्षेत्र के राशन कार्डधारी अपने वार्ड एवं क्षेत्र के नजदीकी राशन दुकान जाकर अपना नवीन राशन कार्ड प्राप्त कर सकते है। यह राशन कार्ड पुरी तरह से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। जिससे उन्हे पुराने राशन कार्ड के जगह नवीन राशन कार्ड वितरण किया जा सके। इसके लिए निगम के कर्मचारियो के साथ आंगनबाड़ी कार्यकता एवं मितानीनो की डयूटी लगाई गई है। महापौर नीरज पाल ने क्षेत्र के नागरिको से अपील की है कि नागरिक अपना नवीन राशन कार्ड जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। जिससे उन्हे राशन की दुकानो में जाकर राशन छुड़ाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। यह राशन कार्ड उनके सुविधा के लिए ही दिया जा रहा है।